कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-सी-31/बैं0/2-235/डी0सी0बी0 लाइसेन्स/2016-17 दिनांक 28 अक्टूबर 2016

1.सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0	सीतापुर,हरदोई,बहराइच,सिद्धार्थ नगर,बस्ती, गोरखपुर,देवरिया,वाराणसी,गाजीपुर,जौनपुर, इलाहाबाद,फतेहपुर,फैजाबाद,सुल्तानपुर, बलिया तथा आजमगढ़।
2-.सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता,	सीतापुर,हरदोई,बहराइच,श्रावस्ती,सिद्धार्थ नगर,बस्ती,सन्तकबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, चन्दौली, सन्तरविदास नगर, गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बलिया तथा आजमगढ जनपद।

विषयः-राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 30.9.2016 <u>में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में ।</u>

अवगत कराना है कि 16 जिला सहकारी बैंकों के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति (एस0एल0आई0सी0) की आठवी बैठक दिनॉक 30.9.2016 को सम्पन्न हुई। समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के कम में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते है:-

1. <u>जमाकर्ताओं की जमा धनराशि का भुगतान :-</u>

तरलता की समस्या से प्रभावित जिला सहकारी बैंकों द्वारा, 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जमाकर्ताओं को उनकी मॉग के अनुरूप भुगतान किया जाय।

घातक बीमारियों से ग्रसित जमाकर्ताओं की जमा धनराशि वापस करने के सम्बन्ध में जिला स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से निर्णय प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

निक्षेप का भुगतान किये जाने के पूर्व के0वाई0सी0 मानक पूर्ण करा लिए जाय।

एम0ओ0यू0 की शर्तानुसार निक्षेप वृद्धि दर 15 प्रतिशत वार्षिक सुनिश्चित की जाय।

(2). **गन्ना किसानों को, गन्ना बिक्री की जमा धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में:–**

जिला सहकारी बैंक– यथा बलिया, सीतापुर, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर– में गन्ना किसानों के, गन्ना मूल्य जमा, भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि वे गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य की जमा धनराशि का विवरण प्राप्त कर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करायें।

(3). **वाद से प्रभावित जमाकर्ताओं की जमा धनराशि का भुगतान** :–

आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता के परिपत्र संख्या : सी–11 दिनांक 20.08.2016 के माध्यम से वाद से प्रभावित जमाकर्ताओं एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्त पावनों के भुगतान की व्यवस्था वित्तीय सहायता पर अर्जित ब्याज से निर्धारित की गयी है. । इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(4). **बलिया में अल्पबचत योजना/दैनिक जमा योजना द्वारा प्रतिदिन जमा धनराशि की वापसी पर विचार** :–

अल्पबचत योजना/दैनिक जमा योजना द्वारा प्रतिदिन जमा धनराशि को नया निक्षेप मानते हुए उनकी मांग के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3. **डी0आई0सी0जी0सी0 प्रीमियम का भुगतान** :–

शासकीय प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज से डी0आई0सी0जी0सी0 प्रीमियम का भुगतान छमाही आधार पर नियमित रूप से किया जाय। सक्षम जिला सहकारी बैंक अपने स्रोतो से यह भुगतान करने के लिये स्वतन्त्र है।

4. **सेवा निवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी प्रीमियम एवं पी0एफ0 ट्रस्ट का भुगतान–** :–

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–26 दिनांक 16 अगस्त 2016 के माध्यम से सेवा निवृत्त कर्मचारियेां की ग्रेच्युटी एवं पी0एफ0 के भुगतान हेतु वित्तीय सहायता से प्राप्त अर्जित ब्याज से एल0आई0सी0 के प्रीमियम एवं पी0एफ0 ट्रस्ट को आवश्यक भुगतान किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित

कराई जाय। आर्थिक रूप से सक्षम जिला सहकारी बैंक एल0आई0सी0 प्रीमियम एवं पी0एफ0 ट्रस्ट की धनराशि का भुगतान अपने संसाधनों से कर सकते हैं।

5. **कर्मचारियों के वेतन का भुगतान :–**

कर्मचारियों के आगामी माह के वेतन का भुगतान बैंक द्वारा विनियोजित धनराशि पर अर्जित ब्याज से किया जाय, साथ ही एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति को कार्मिकों की निष्पादन रिपोर्ट का अंश माना जाय।

6. **व्यवसाय हेतु आहरित धनराशि का उपयोग ::–**

व्यवसाय हेतु आहरित धनराशि का उपयोग व्यवसाय मद में ही किया जाय, न कि किसी अन्य मद में।

7. **सी0बी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन :–**

16 जिला सहकारी बैंकों में से 02 बैंक यथा फैजाबाद एवं इलाहाबाद के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य आई0सी0डी0पी0 योजनान्तर्गत किया जा रहा है तथा अन्य 14 जिला सहकारी बैंकों को सी0बी0एस0 प्लेटफार्म पर लाने हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव एन0सी0डी0सी0 को प्रेषित किया गया है। बैंको द्वारा डेटा माईग्रेशन का कार्य दिनॉक 31.12.2016 तक पूर्ण करा लिया जाय।

8. **एस0एल0आर0 की समस्त धनराशि का शासकीय प्रतिभूतियों में विनियोजन:–**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप दिनांक 31.03.2017 तक एस0एल0आर0 की समस्त धनराशि का विनियोजन शासकीय प्रतिभूतियों में अनिवार्य रूप से किया जाय।

9. **जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कृत कार्यवाही:–**

सभी जिला सहकारी बैंको द्वारा उक्तानुसार गठित कमेटी की बैठक माह में एक बार कराते हुए जमाकर्ताओं से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण किया जाय।

10. **बैंकों द्वारा सन्दर्भित अन्य समस्याओं के निदान एवं प्राप्त सुझाव पर विचार:–**

- जिला सहकारी बैंक लि0 गोरखपुर द्वारा बैंक की शाखा गोरखनाथ से सम्बद्ध विभिन्न बुनकर समितियों को सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के सापेक्ष बुनकर समितियों को रू. 19.08 लाख का भुगतान दो त्रैमासिक किश्तों में किया जाय।
- ग्रुप इन्श्योरेन्स के प्रीमियम के भुगतान से सम्बन्धित विवरण बैंकों द्वारा कमेटी को उपलब्ध कराया जाय।
- बैंक एवं समिति तथा समिति एवं सदस्य के मध्य ऋणान्तर के समाधान हेतु यथा शीघ्र कमेटी का गठन किया जाय।
- बैंको द्वारा निक्षेप भुगतान की न्यूनतम सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि बैंकवार किए गये भुगतान तथा बैंकों द्वारा एकत्र किए गए निक्षेप का विवरण तैयार कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

11. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा .06 बैंकों– देवरिया, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर एवं बहराइच – पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगायी गयी पेनाल्टी पर विचार :–**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 06 जिला सहकारी सहकारी बैंक यथा–देवरिया, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर एव बहराइच पर बैंकिंग विनियमन, अधिनियम 1949 की धारा 18 एवं 24 के अन्तर्गत सी0आर0आर0/एस0एल0आर0 को बनाये रखने में हुई चूक पर दण्डात्मक ब्याज को माफ कराने हेतु सम्बन्धित जिला सहकारी बैंको को निर्देश दिये जाते है कि वे इस आशय की सूचना उपलब्ध कराये कि यह धनराशि रिवाइवल पैकेज में सम्मिलित की गई थी अथवा नही।

12. **कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती पर विचार:–**

कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती करने के सम्बन्ध में कमेटी गठित किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

13. **कतिपय जिला सहकारी बैंकों के क्षतिग्रस्त स्वयं के मुख्यालय भवनों के मरम्मत पर विचार:–**

जिला सहकारी बैंकों के क्षतिग्रस्त स्वयं के मुख्यालय की मरम्मत हेतु प्रति जिला सहकारी बैंक रू. 5.00 लाख तक के भुगतान की स्वीकृति बैंक की प्रबन्ध समिति से

तथा रू0 5.00 लाख से ऊपर के प्रस्ताव का अनुमोदन आयुक्त एवं निबन्धक से प्राप्त किया जाय।

अन्य विषय :–

1. **उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक से लिये गये ऋण देनदारियों का भुगतान प्राप्त वित्तीय सहायता से किये जाने पर विचार।**

   जिला सहकारी बैंकों द्वारा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक से लिए गये ऋण, जो बकाया में चिन्हांकित है, की वसूली हेतु बैंकवार अध्ययन किया जाय तथा जो बैंक भुगतान करने में सक्षम हो, उनका विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

2. **सी–06/अधि0/2016–17 दिनांक 11 मई, 2016 के द्वारा जो वेतन आदि की धनराशि बचत खाते में अन्तरित की गई थी उसकी रिवर्स इन्ट्री किए जाने की प्रगति।**

   रिवर्स इन्ट्री का विवरण भेजे जाने हेतु बैंकों को निर्देश दिये गये।

   अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के कम में उपर्युक्तानुसार प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विचलन क्षम्य न होगा।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक सी-31 /बैं0/2–235/डी0सी0बी0 लाइसेन्स/2016–17 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उप आयुक्त एवं उप निबंधक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद तथा इलाहाबाद मण्डल।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

3– मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4– क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ।

5– जिलाधिकारी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, सिद्धार्थनगर,बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बलिया एवं आजमगढ़ जनपद।

SCA०

अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(बैंकिंग)
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।